...य उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
140/21	88, 89, 90, RTA, 136 LR act	खेराली	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
सरपंच ग्राम पंचायत खेराली	बनाम	सरकार

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
12-10-21	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 RTA, 136 LR act विरुद्ध प्रार्थी बाबत गया के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट तहसील का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजि. किया जावे। अप्रार्थी को नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 8-11-21 को पेश हो।	
8-11-21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. अप्रार्थी की तलबी हेतु तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 10-12-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बाराँ	
10-12-21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. अप्रार्थी की तलबी हेतु पुनः तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21-1-22 को पेश हो।	
11-3-22	पत्रावली पूर्व से स्थगित की गई थी, आज पेश हुई। वकील वादी उप. अप्रार्थी की तलबी हेतु तलबाना पेश करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28-4-22 को पेश हो।	
28-4-22	पीठासीन अधिकारी अवकाश पर रहने से पूर्ववत दिनांक 30-6-22 को प्रस्तुत हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी बारां	

निर्णय वइजलास श्री अभिमन्यु सिंह कुन्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :— 140 / 2021
दायरा दिनांक :— 12.10.2021
निर्णय दिनांक :— 08/01/2025

उनवान

1. सरपंच ग्राम पंचायत खेराली पं सं. बारां जरिये संरपच देवराज नट पुत्र रामस्वरुप जाति नट निवासी तूमडा तहसील बारां
2. ग्राम पंचायत खेराली पं सं. बारां जरिये ग्राम सचिव अमित शर्मा पुत्र श्री विनोद कुमार जाति ब्राहम्ण

वादीगण—

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90 राज0 टी0 एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांक :— 08/01/25

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री अरविन्द कुमार एडवोकेट — वादी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90 राज0 टी0 एक्ट एवं 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल खेराली पटवार हल्का खेराली तह0 बांरा जिला बारां में वर्तमान जमाबन्दी संख्या 2073—2076 अनुसार खाता संख्या नया 1 पुराना 0 में आराजी खसरा नं0 564 रकबा 3.47 हे0 किस्म गैरमुमकिन तलाई खसरा नं0 572 रकबा 0.02 हे0 किसम गैरमुमकिन तलाई खसरा नं0 573 रकबा 0.05 हे0 किस्म गैरमुमकिन तलाई स्थित है। उक्त आराजियात ही वाद की विषयवस्तु है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। कि मद् नं0 1 वाद पत्र में वर्णित आराजियात का जमाबन्दी संख्या 2033—36 अनुसार साबिक खसरा नं0 373 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन आबादी खसरा नं0 635 रकबा 1 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन आबादी खसरा नं0 365 रकबा 6 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में अंकित था। कि दौराने सेटलमेन्ट संख्य 2037 से 2057 मद् नं0 1 वर्णित आराजी की किस्म जो पूर्व राजस्व रिकार्ड में किस्म गैरमुमकिन आबादी में अंकित थी। की किस्म गैरमुमकिन तलाई अंकित करदी गयी है। जो गलत एवं अवैधानिक है। जिसे आगे दुरूस्त करवाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित आराजी की किस्म गैरमुमकिन तलाई के स्थान पर किस्म गैरमुमकिन आबादी दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। उक्त विवादित आराजी पर मौके पर कोई तलाई नही है। तथा विवादित आराजी आबादी भूमि से घिरी हुयी है। उक्त विवादित आराजियात की किस्म गलत अंकित कर देने से वादीगण व ग्राम वासीयान के हितों पर विपरित प्रभाव पड रहा है। ग्राम वासीयान की सुख सुविधाओं के लिये वादी / ग्राम पंचायत को सरकारी सुविधाऐं प्राप्त करने वंचित होना पड रहा है। अस्तु वादी / ग्राम पंचायत राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

किस्म गैरमुमकिन तलाई के स्थान किस्म गैरमुमकिन आबादी दर्ज करवा पाने का अधिकारी नालिशी है। कि वाद कारण अंतिम बार दिनांक 15.09.2021 को प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादी को विवादित आराजी की किस्म दुरूस्त करने से इन्कार करने पर तहसील बारां में पैदा हुआ। कि वाद पेश करने से पूर्व राज0 सरकार जरिये प्रतिनिधी जिला कलक्टर बारां को नोटिस धारा 80 सी0 पी0 सी0 का अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित करवा दिया है जिसकी मियाद अभी समाप्त नही हुई है। वाद आवश्यक प्रकृति का है। क्योकि वादी/ग्राम पंचायत विवादित आराजी बाबत सरकारी सुविधाऐं प्राप्त करने से वंचित हो रहा है। इस कारण अविलम्ब न्यायालयी सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। अस्तु धारा 80(2) सी.पी.सी. के आवेदन के साथ पाद पेश है। वाद का मूल्याकंन विवादित आराजी के लगात का 50 गुना कायम किया जाकर उचित न्याय शुल्क पर वाद अवधि मध्य पेश है। कि विवादित आराजी वाके खेराली तह0 बारां में स्थित है। इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038–2057, खसरा नं0 564, 572, 573, जमाबन्दी सम्वत 2038–2057 नकल ग्राम खेराली सम्वत 2033–2037 खाता संख्या 1, ग्राम खेराली नोटिस 80 सीपीसी पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी बहस के दोरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि कि वाके माल खेराली पटवार हल्का खेराली तह0 बांरा जिला बारां में वर्तमान जमाबन्दी संख्या 2073–2076 अनुसार खाता संख्या नया 1 पुराना 0 में आराजी खसरा नं0 564 रकबा 3.47 हे0 किस्म गैरमुमकिन तलाई खसरा नं0 572 रकबा 0.02 हे0 किस्म गैरमुमकिन तलाई खसरा नं0 573 रकबा 0.05 हे0 किस्म गैरमुमकिन तलाई स्थित है। कि मद् नं0 1 वाद पत्र में वर्णित आराजियात का जमाबन्दी संख्या 2033–36 अनुसार साबिक खसरा नं0 373 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन आबादी खसरा नं0 635 रकबा 1 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन आबादी खसरा नं0 365 रकबा 6 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में अंकित था। कि मद् नं0 1 वाद पत्र में वर्णित आराजियात का जमाबन्दी संख्या 2033–36 अनुसार साबिक खसरा नं0 373 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन आबादी खसरा नं0 635 रकबा 1 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन आबादी खसरा नं0 365 रकबा 6 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में अंकित था।ग्राम वासीयान की सुख सुविधाओं के लिये वादी/ग्राम पंचायत को सस्कारी सुविधाऐं प्राप्त करने वंचित होना पड रहा है। अस्तु वादी/ग्राम पंचायत राजस्व रिकार्ड विवादित आराजी की किस्म गैरमुमकिन तलाई के स्थान किस्म गैरमुमकिन आबादी दर्ज करवा पाने का अधिकारी एवं नालिशी है। कि वाद कारण अंतिम बार दिनांक 15.09.2021 को प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वादी को विवादित आराजी की किस्म दुरूस्त करने से इन्कार करने पर तहसील बारां में पैदा हुआ। राजस्व रिकार्ड की अम्ल दरामद किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबदी सम्वत 2073–2076 अनुसार खाता संख्या 1 खसरा नं0 564 रकबा 3.47 हे0, खसरा नं0 572 रकबा 0.02 हे0, खसरा नं0 573 रकबा 0.05 हे0 है। किस्म गैरमुमकिन तलाई दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम खेराली सम्वत 2038 से 2057 तथा नकल

उपखण्ड अधिकारी
बारां

बन्दी सम्वत 2033–36 अनुसारसाबिक खसरा नं0 373 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा किस्म मुमकिन आबादी, खसरा नं0 635 रकबा 1 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन आबादी खसरा नं0 365 रकबा 6 बिस्वा किस्म गैरमुमकिन आबदी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। तहसीलदार बारां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान जमाबन्दी सं0 2073–76 (वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 1 पर दर्ज आराजी खसरा नं0 564 रकबा 3.47 किस्म गैर मुमकिन तलाई खसरा संख्या 572 रकबा 0.02 किस्म गैर मुमकिन तलाई खसरा संख्या 573 रकबा 0.05 हे0 किस्म गैरमुमकिन तलाई बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गई है। जो मुताबिक रेकार्ड व मौकास्थिति अनुसार निम्न प्रकार है।

1. ग्राम खेराली की आराजी खसरा नं0 564 रकबा 3.47 हे0 गैर मुमकिन तलाई 572 रकबा 0.02 हे0 किस्म गैर मुमकिन तलाई 573 रकबा 0.05 हे0 गैर मुमकिन तलाई वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। मौके पर उक्त आराजी खसरा में ग्राम की आबादी भूमि बची हुई है। जबसे ग्राम बसा है। तब से ही उक्त खसरों में ग्राम की आबादी बसी हुई है। तथा मुताबिक ग्राम वासीयान उक्त खसरा नं0 में कभी भ्ज्ञी तलाई नही रही है।
2. उक्त आराजी खसरा नं0 का मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2038 से 2057 से जांच करने पर खसरा नं0 564 रकबा 3.47 है0 व खसरा नम्बर 572 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 3.49 है0 किस्म गै0मुमकिन तलाई के साबिक खसरा नम्बर 373 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 635 रकबा 1 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी से मिलकर बना है तथा खसरा नम्बर 573 रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन तलाई के साबिक खसरा नम्बर 365 रकबा 6 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी से मिलकर बना है।
3. उक्त खसरा का सेटलमेन्ट जमाबन्दी संख्या 2038–2057 में किस्म गैरमुमकिन तलाई दर्ज है जबकि पूर्व में उक्त आराजी गैरमुमकिन आबादी दर्ज थी।

उक्त खसरा से संबधित मुताबिक सेटलमेन्ट रेकार्ड व वर्तमान रेकार्ड व मौका जांच अनुसार तैयार कर पेश है। वर्तमान में पूर्व जबसे ग्राम बसा है उक्त खसरा में आबादी हो रही है। मौके पर उक्त खसरा में तलाई नही व पूर्व में भी कभी तलाई नही थी। रिपोर्ट तहसीलदार बारां के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नं0 564 रकबा 3.47 हे0, खसरा नं0 572 रकबा 0.02 हे0 एवं खसरा नं0 573 रकबा 0.05 हे0 की किस्म गैरमुमकिन तलाई से गैरमुमकिन आबादी दर्ज किया जाना न्यायोचित हो।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके खेराली तहसील बारां के खसरा नं0 564 रकबा 3.47 हे0 किस्म गैरमुमकिन तलाई खसरा नं0 572 रकबा 0.02 हे0 एवं खसरा नं0 573 रकबा 0.05 हे0 की किस्म गैरमुमकिन तलाई से गैरमुमकिन आबादी दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी बारां
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उक्त आराजीयात ही वाद की